

न्यायालय:- साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी
जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण कं.-586/11
संस्थापित दिनांक-15.12.2011
Filling no- 235103001352011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।अभियोजन
विरुद्ध
1- लक्ष्मण पुत्र लाखन सिंह यादव उम्र 28 साल निवासी- ग्राम टाडा श्यामगढ तहसील चंदेरी जिला-अशोकनगर म0प्र0आरोपी

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 21.11.2017 को घोषित)

01- आरोपी के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 382, 506 बी के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का अभियोग है कि दिनांक 27.11.2011 को शाम 6:30 बजे ग्राम नयावार नाला के पास सिरसौद प्राणपुर के बीच फरियादी सुजान के साथ मारपीट कर उसकी जेब में रखे 4 हजार रुपये उसकी अनुमति के बिना निकालकर चोरी किये एवं सुजान को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित कर संत्रास कारित किया।

02- अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी सुजान सिंह ने अपने पिता भानसिंह के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 27.11.2011 में वह प्राणपुर में चाचा मुसलमान के यहां बकरा, बकरी बेची थी, जिसके पैसे लेने आया था, चाचा ने उसे 4000/- रुपये दिये थे। वह शाम को सिरसौद वाली बस में अपने घर लडैरी तरफ जा रहा था कि बस जैसे ही नागवार नाले के पास पहुँची तो वह पेशाब करने नीचे उतरा, नीचे रोड पर खड़े लक्ष्मण यादव ने उसका रास्ता रोक लिया और बोला की उसे लात क्यों मारी दिखता नहीं है, उसने मना किया तभी उसकी लात घुसो से तथा लाठियों से मारपीट की जिससे उसके सिर में बांये हाथ के कोंचा में, दाये पैर के तलवा में, पुट्टे में चोटे आई थी, मारपीट के दौरान लक्ष्मण ने उनकी जेब में रखे 4000/- रुपये नगद निकाल लिये, उसने पैसे मांगे तो लक्ष्मण बोला कि रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देगे। रुपये उसने लाल रंग के रूमाल में रखे थे। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपी को गिरफ्तार

किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

03— अभियुक्त को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त द्वारा स्वयं को निर्दोश होना तथा रंजिशन झुठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :-

1.	क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 27.11.2011 को शाम 6:30 बजे ग्राम नयावार नाला के पास सिरसौद प्राणपुर के बीच आपने फरियादी सुजान के साथ मारपीट कर उसकी जेब में रखे 4 हजार रुपये उसकी अनुमति के बिना निकालकर चोरी किये ?
2.	क्या घटना दिनांक समय स्थान पर फरियादी सुजान को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिद्रास कारित कर संत्रास कारित किया ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

विचारणीय प्रश्न क्र० 2:-

05— अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फरियादी सुजान अ०सा०1 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी का कहना है कि आरोपी ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से खत्म करने की धमकी दी थी। इसके अलावा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य किसी साक्षी ने फरियादी की उक्त बात का समर्थन नहीं किया है। फरियादी सुजान अ०सा०1 ने उसकी साक्ष्य में स्पष्ट नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा दी गई अभिकथित धमकी से भय अथवा संत्रास कारित हुआ हो, इसके विपरीत प्रकरण के अवलोकन से घटना के पश्चात ही घटना दिनांक को सूचनाकर्ता सुजान द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.1 लिखाये जाने का तथ्य फरियादी को अभिकथित धमकी से निरंतर एवं वास्तविक भय एवं संत्रास कारित होने की विपरीत स्थिति प्रकट करता है।

06— उल्लेखनिय है कि भा०द०स० की धारा 503 में परिभाषित “आपराधिक अभिद्रास” का अपराध गठित करने के लिये धमकी वास्तविक होना चाहिए न की शब्द, जहां कि शब्द बोलने वाले व्यक्ति का आशय वह नहीं होता जोकि वह कह रहा है और वह व्यक्ति जिससे धमकी दी गई है वास्तव में भयभीत न हो तो वह अपराध घटित नहीं होता है। आपराधिक अभिद्रास का एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि

भयभीत करने का अथवा किस व्यक्ति को भयभीत किया गया है उस व्यक्ति को वह कार्य करने के लिये विवश करने का आशय होना चाहिए जिसको करने के लिये वैधानिक रूप से वह बाध्य नहीं है या ऐसा कार्य/लोप करने के लिये विवश करना चाहिए जिसे करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार है, साथ ही उपयोग किये गये शब्दों से इस बात का स्पष्ट संकेत होना चाहिए कि अभियुक्त क्या करने वाला है और फरियादी को युक्तियुक्त रूप से वह लगना चाहिए कि अभियुक्त उसके शब्दों को कार्य रूप में परिणित करने वाला है।

07— शरद दबे एवं अन्य विरुद्ध महेश गुप्ता व अन्य 2005 (4) एन.पी.एल.जे. 330 में माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि केवल जान से मारने की धमकियां भा0द0सा0 की धारा 506 भाग-2 के अधीन अपराध का गठन नहीं करती। फलतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचना से यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी द्वारा संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर अपराधिक अभित्रास कारित किया।

विचारणीय प्रश्न क्र० 01:—

08— फरियादी सुजान अ0सा01, मानसिंह अ0सा02, प्रताप अ0सा03, वीरन अ0सा04, सगीर खान अ0सा05, मौजूद्दीन अ0सा06, नौशाद अ0सा07 ने उनके कथनों में बताया कि वे आरोपी लक्ष्मण को जानते हैं। फरियादी सुजान अ0सा01 का कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन कथनों से करीब 2-3 साल पहले की है, वह प्राणपुर से उसके घर लडैरी टैक्सी से जा रहा था। उक्त साक्षी का कहना है कि उसने प्राणपुर में बकरी बेची थी जिनके पैसे लेने गया था और उसके पास 10 हजार रुपये थे, वह पैसे लेकर अपने घर जा रहा था। उक्त साक्षी का कहना है कि हरीपुरा पर आरोपी लक्ष्मण ने पहले उसे थप्पड़ों से मारा फिर वह घर पर भाग गया और कोई घटना आरोपी ने उसके साथ कारित नहीं की, जिसके संबंध में उसके द्वारा अशोकनगर में प्र.पी. 1 की रिपोर्ट की थी। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से न्यायालय की अनुमति से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि आरोपी ने उसकी डण्डे से मारपीट की थी। अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने कहा कि वह नहीं बता सकता कि आरोपी ने उसके 4 हजार रुपये निकाल लिये थे अथवा नहीं। स्वतः कहा वह तो मारपीट के बाद घटना स्थल से भाग गया था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि उसने लक्ष्मण की झुठी रिपोर्ट की थी और इस बात से भी इंकार किया कि वह टैक्सी से गिर गया था जिससे उसे चोट आई थी।

09— मानसिंह अ0सा02 ने उसके कथनों में बताया कि फरियादी सुजान उसका बेटा है, लक्ष्मण ने सुजान सिंह को मारा था, करीब 5-7 साल पहले मारा था। उक्त साक्षी का कहना है कि सुजान सिंह प्राणपुर से बकरी के पैसे लेकर लडैरी घर जा रहा था कि हरीपुरा पर लक्ष्मण सिंह ने उसके साथ मारपीट की थी। लक्ष्मण सिंह ने पत्थर व

लाठियों से मारा था। उक्त साक्षी का कहना है कि उसे सुबह घटना के बारे में रामसिंह कुशवाह ने बताया था, इसके अलावा उसे घटना की जानकारी नहीं है, मेरे लडके को पता होगी। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से न्यायालय की अनुमति से यह पूछने पर कि आरोपी ने सुजान की जेब से 4 हजार रुपये निकाले थे या नहीं, तो साक्षी का कहना है कि 4 रुपये नहीं बल्कि पूरे 14 हजार रुपये निकाल लिये थे। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया कि वह घटना के समय सुजान के साथ नहीं था और न ही वह यह बता सकता है कि सुजान के साथ कौन कौन था।

10— सगीर खान अ0सा05 ने बताया कि वह ग्राम लडेरी में खेती करता था, इसलिये सुजान सिंह को जानता है, उसके सुजान सिंह के पिता मानसिंह से 5 बकरी व 5 बच्चे खरीदे थे, जिसके पैसे मानसिंह को देने के लिये वह जा रहा था, रास्ते में मानसिंह का लडका सुजान सिंह मिला जिसे उसके 13,500/- रुपये दे दिये थे। उक्त साक्षी का कहना है कि उसके बाद क्या हुआ उसे जानकारी नहीं है। अभियोजन साक्षी प्रताप अ0सा03, वीरन अ0सा04 ने अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया जिससे उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

11— मौजूद्दीन अ0सा06 ने उसके कथनो में बताया कि वह फरियादी सुजान सिंह को नहीं जानता है और आरोपी तथा फरियादी के मध्य किसी घटना क्रम की उसे कोई जानकारी नहीं है किन्तु उक्त साक्षी द्वारा गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 6 मेमो का ज्ञापन प्र.पी. 7 एवं जप्ती पत्रक प्र.पी. 8 के ए से ए भागो पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। उक्त साक्षी का कहना है कि उससे उस समय दरोगा जी ने कहा था कि आरोपी लक्ष्मण को पकड़कर लाए है इसलिये हस्ताक्षर कर दो। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने बताया कि आरोपी से उसके समक्ष लूट के संबंध में बातचीत चल रही थी किन्तु घटना पुरानी होने से वह नहीं बता सकता कि आरोपी ने उसके समक्ष मेमोरेडम के ज्ञापन प्र.पी. 7 का ए से ए भाग दिया था अथवा नहीं। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया कि आरोपी से उसके समक्ष दरोगा जी ने एक रुमाल पोटली जैसा लाल रंग का जप्त किया था किन्तु उसमें पैसे थे या नहीं इस बात की जानकारी नहीं है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी का कहना है कि उसके समक्ष आरोपी से पैसे की जप्ती नहीं हुई थी।

12— नौशाद अ0सा07 ने उसके कथनो में बताया कि आरोपी कई बार अन्य अपराधो में पकड़ा गया है हो सकता है कि लूट के अपराध में आरोपी को पकड़ा हो। उक्त साक्षी का कहना है कि आरोपी को कई बार उसके समक्ष पकड़ा गया इस कारण वह नहीं बता सकता कि प्रस्तुत प्रकरण में आरोपी को कब और किस अपराध के संबंध में पकड़ा गया था। उक्त साक्षी ने प्र.पी. 6 के गिरफ्तारी पंचनामा, प्र.पी. 7 के मेमोरेडम कथन एवं प्र.पी. 8 के जप्ती पंचनामे के बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया, इसके अलावा उक्त साक्षी ने अभियोजन कहानी का कोई समर्थन नहीं किया।

13— डॉ० अजय सिंह अ०सा०९ ने बताया कि दिनांक 28.11.2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदेरी में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ थे और उक्त दिनांक को आहत सुजान का मेडिकल परीक्षण किया था जिसमें उसकी बायीं कलाई के पिछले भाग में एक नीलगू निशान 2 गुणा 0.5 सेमी एवं सिर के ऑक्सीपिटल भाग में एक फटी चोट त्वचा की गहराई तक पाई थी। उक्त साक्षी का कहना है कि आहत को आई हुई चोटे सख्त एवं वोथरी वस्तु से आना संभव है, उसके द्वारा तैयार रिपोर्ट प्र. पी. 3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि यदि कोई व्यक्ति धीमी गति से चलती बस से उतरता है तो उक्त चोटे आना संभव है।

14— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में घटना के संबंध में फरियादी सुजान अ०सा०१ के कथन आरोपी द्वारा मारपीट किये जाने के संबंध में प्रतिपरीक्षण में भी सारतः अखण्डनीय रहे हैं और साक्षी के कथनों का समर्थन मानसिंह अ०सा०२ की साक्ष्य से भी होता है। घटना के संबंध में फरियादी सुजान अ०सा०१ के कथनों की समपुष्टि सुसंगत अविलम्ब प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.१ से भी होती है। आहत सुजान को घटना दिनांक को चोट आने संबंधी कथनों का समर्थन डॉ० अजय सिंह अ०सा०९ के कथनों से भी होता है। अभिलेख पर आहत सुजान के कथनों पर अविश्वास किये जाने हेतु किसी भी प्रकार के बड़े विरोधाभास अथवा लोप नहीं हैं।

15— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह तो प्रमाणित है कि आरोपी द्वारा घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी सुजान की मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की, किन्तु आरोपी द्वारा फरियादी सुजान सिंह से अभियोजन कथा अनुसार 4000/- रुपये छीन लिये जाने वाली बात का समर्थन स्वयं फरियादी सुजान सिंह द्वारा उसके कथनों में नहीं किया गया और स्वयं फरियादी सुजान का उसके न्यायालयीन कथनों में कहना है कि हरीपुरा पर लक्ष्मण द्वारा थप्पड़ों से मारने पर वह घर भाग गया था और उसे कान के पास में हाथ में चोट लगी थी, इसके अलावा और कोई घटना आरोपी ने उसके साथ नहीं की। अभियोजन अधिकारी द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कराकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उसने कहा कि वह नहीं बता सकता कि आरोपी ने उसके 4 हजार रुपये लिये थे अथवा नहीं। स्वतः कहा कि वह तो मारपीट के बाद घटना स्थल से भाग गया था। इस प्रकार फरियादी सुजान सिंह से आरोपी द्वारा 4 हजार रुपये छीनने वाली बात का समर्थन स्वयं फरियादी ने ही नहीं किया है। यद्यपि प्रकरण के विवेचना अधिकारी डी.एस. राठौर अ०सा०८ ने उसके कथनों में बताया कि आरोपी द्वारा मेमोरेडम के अनुसार प्राप्त जानकारी के आधार पर आरोपी द्वारा पेश करने पर उसके घर से 500/- रुपये लाल रंग के रुमाल में जप्त किये थे और जप्ती पंचनामा प्र.पी. 8 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त जप्ती से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है क्योंकि स्वयं फरियादी सुजान अ०सा०१ द्वारा आरोपी द्वारा उससे रुपये छीनने वाली बात का समर्थन नहीं किया है।

16— अतः उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर आरोपी द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया जाना प्रमाणित नहीं है। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 382 भा0द0स0 के संबंध में भी आरोप विरचित किया गया है। किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0स0 की धारा 382 के संबंध में अपराध प्रमाणित न होकर धारा 323 भा0द0स0 के संबंध में अपराध प्रमाणित होना दर्शित है। धारा 382 भा0द0स0 धारा 323 भा0द0स0 से अधिक कारावास से दण्डनीय होकर गुरुत्तर अपराध है, प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 382 भा0द0स0 का आरोप विरचित कर धारा 323 भा0द0स0 के अन्तर्गत दोषसिद्ध पाये जाने पर उसपर विचारण के दौरान किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव होना प्रतीत नहीं होता है। अतः अभियुक्त को धारा 323 भा0द0स0 के संबंध में दोषसिद्ध पाया जाता है और उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर अभियुक्त धारा 506 भाग दो व धारा 382 भा0द0स0 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है, परन्तु धारा 323 भा0द0स0 के संबंध में दोषसिद्ध पाया जाता है।

17— दोषसिद्ध अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण दंड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थगित किया जाता हैं।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

पुनश्च:-

18— उभयपक्ष को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि अभियुक्त करीब साढ़े सात माह से न्यायिक निरोध में है। अतः अभियुक्त द्वारा न्यायिक निरोध में व्यतीत की गई अवधि से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की। अभियोजन की ओर से अधिक से अधिक दण्ड दिये जाने का निवेदन किया गया हैं।

19— अभिलेख के अवलोकन से दर्शित है कि आरोपी दिनांक 03.12.2011 से 13.12.2011 तक तत्पश्चात 17.04.2017 से आज दिनांक 21.11.2017 तक अर्थात् कुल 7 माह 15 दिन तक न्यायिक निरोध में रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धी का कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है जिससे आरोपी का यह प्रथम अपराध होना अभिलेख के अवलोकन से प्रकट है। अतः प्रकरण के तथ्य, आहत को आयी चोटें एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को उसके द्वारा न्यायिक निरोध में भुगती गई अवधि से दण्डित किया जाता है।

20— अभियुक्त दिनांक 03.12.2011 से 13.12.2011 तक तत्पश्चात 17.04.2017 से

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-586/11

Filling no- 235103001352011

आज दिनांक 21.11.2017 तक अर्थात् कुल 7 माह 15 दिन तक न्यायिक निरोध में रहा है। निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

21- प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।

22- अभियुक्त को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क दी जावे।

23- अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित, दिनांकित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0